

3/7/2024

150305 0317124 का पत्र चला

पत्र पेश हुई। यात्री मय वकील उपस्थित। यात्री का दावा नोट-बैक में खारिज किया जा चुका है। अब वह प्रार्थना-पत्र 212 RTI का कोई औचित्य नहीं रहे जा रहा है। अतः यात्री का प्रार्थना-पत्र 212 RTI शर्तों के अन्तर्गत खारिज किया जाता है।

पत्रावली फुलल शुभाङ्क होकर दायरे

दफ्तर हो
 प्रमुख अधिकारी
 चंदबड़ भारतपुर

15/07/24
जहीपाल

बतवी
शुभाङ्क
Datta

